सं. जी-39011/4/2015-एफडी
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
25-के. जी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : दिसंबर 16, 2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
पंचायती राज विभाग,
सभी राज्य (संलग्न सूची के अनुसार)

विषय : **ग्राम पंचायत द्वारा परिचालन एवं रखरखाव (ओ और एम) और पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर अनुदानों के उपयोग के संबंध में**

महोदय/महोदया,

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की अनुशंसाओं के आधार पर, ग्राम पंचायतों (जीपी) को/द्वारा बुनियादी और निष्पादन अनुदान जारी करने तथा उनका उपयोग करने हेतु व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2015 को सं. 13(32)एफएफसी/एफसीडी/2015-16 के माध्यम से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2. दिशानिर्देशों के पैरा 3 के तहत, ग्राम पंचायतों (जीपी) को किए गए आवंटन का 10% तक उपयोग ओ एण्डएम तथा पूंजीगत व्यय के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता की लागत को पूरा करने हेतु किया जाना है। तकनीकी और प्रशासनिक सहायता की पूर्ति के लिए 10% के उचित उपयोग पर राज्यों के लिए सामान्य दिशानिर्देश तैयार करने हेतु, पंचायती राज मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों और कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में 'तकनीकी और प्रशासनिक सहायता समिति' (सीटीएएस) का गठन किया। इस विषय पर दिनांक 29-30 अक्टूबर, 2015 को आयोजित प्रधान सचिवों/सचिवों, पंचायती राज की बैठक के दौरान भी चर्चा की गई और ऐसे सामान्य दिशानिर्देश तैयार करने पर आपसी सहमति बनी।

3. समिति द्वारा दिनांक 6 नवंबर, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में उन गतिविधियों की एक मसौदा सूची तैयार की गई जिन्हें इन निधियों का उपयोग करके निष्पादित किया जा सकता है या नहीं निष्पादित किया जा सकता है। समिति की अनुशंसाएं सभी राज्य सरकारों को उनके सुझावों/टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए ई-मेल के माध्यम से अग्रेषित की गईं। राज्य इन अनुशंसाओं के बारे में सहमतहैं। सीटीएएस की अनुशंसाओं पर आगे की चर्चा वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 अक्टूबर 2015 के दिशानिर्देशों के पैरा 24 के अनुसरण में गठित समन्वय समिति की बैठक में की गई। सीटीएएस की अनुशंसाओं का समर्थन करते हुए,समन्वय समिति ने अपनी राय दी कि एक कॉमन एडवाइजरीजारी की जानी चाहिए।

4. तदनुसार **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न एडवाइजरी जारी की जाती है।

भवदीय,

(आर शिवकुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :
वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।

(दिनांक 14 दिसंबर 2015 के पत्र संख्या जी-39011/4/2015-एफडी के साथ संलग्नक)

अनुलग्नक

परिचालन एवं रखरखाव (ओ एवं एम) तथा पूंजीगत व्यय के लिए चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) के अनुदानों का उपयोग

गतिविधियों की सूची जिन पर अनुदान का 10% तक उपयोग किया जा सकता है

(i) लेखाकार-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर, इंजीनियर इत्यादि जैसे व्यावसायिकों सेवाओं को संविदा के आधार पर/मात्रानुपाती दर के आधार पर अनुबंधित करना और ग्राम पंचायतों (जीपी) के स्तर पर या ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं के अनुसार जीपीडीपी के लिए जीपी के समूह हेतु 'बेयरफुट' व्यावसायिकों या सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का उपयोग करना। व्यय को जीपीएस द्वारा प्राप्त सेवाओं के परिमाण के आधर पर साझा किया जाना है।

(ii) जिन ग्राम पंचायतों में वर्तमान में कोई कंप्यूटर नहीं है, वहां कंप्यूटर और एसेसरीज की खरीद तथा एएमसी की लागत।

(iii) इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एकमुश्त लागत और आवर्ती शुल्क।

(iv) ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए आवश्यक फर्नीचर की एक बारगी खरीद।

(v) स्ट्रीट लाइट/जल आपूर्ति शुल्क का भुगतान,यदि पहले किसी अन्य योजना या किसी अन्य एजेंसी द्वारा नहीं लिया जा रहा हो। इस निधि से पुराने बकायों का भुगतान न किया जाए।

(vi) ऐसे व्यावसायिकों की लागत/मानदेय की पूर्ति करना जो सिविल कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु समय-समय पर दौरा कर सकते हैं।

(vii) डेटा प्रविष्टि की लागत।

(viii) लेखाओं का एकबारगी अद्यतनीकरण।

(ix) लेखाओं की लेखापरीक्षा करने वाले सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) के शुल्क, *(यदि वे सांविधिक लेखा परीक्षक नहीं हैं)*

(x) सामाजिक लेखापरीक्षा की लागत।

(xi) निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु आकस्मिक मामलों में वाहनों का किराया शुल्क।

(xii) पदाधिकारियों की क्षमता निर्माणयदि किसी सीएसएस या राज्य क्षेत्र योजना के तहत उसके लिए निधि उपलब्ध न हो।

(xiii) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल आदि जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी योजना तैयार करने की लागत,

(xiv) जीपीडीपी को तैयार करने की लागत - पीआरए, आईईसी, सर्वेक्षण, मानचित्र और अन्य दस्तावेज तैयार करना तथा परामर्श करना और आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों (कंज्युमेबल्स) की लागत जैसी सभी प्रक्रियाओं को कवर करना।

(xv) सोलर लाइट की व्यवस्था सहित ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण।

उन गतिविधियों की सूची जिन्हें इन निधियों का उपयोग करके निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

उन गतिविधियों यथा,अभिवादन/सांस्कृतिक कार्यक्रम/ सजावट/ उद्घाटन, निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय, टीए / डीए और मौजूदा कर्मचारियों - स्थायी और संविदा के आधार पर-का वेतन/मानदेय पर व्यय जिन्हें पहले से ही अन्य योजनाओं से वित्तपोषित किया जा रहा है।

दान / पुरस्कारों पर व्यय

मनोरंजन
एयर कंडीशनर्स की खरीद
वाहनों की खरीद

उपर्युक्त सुझावों के आधार पर, राज्यों द्वारा उन गतिविधियों की प्राथमिकता सूची जारी की जा सकती है जिनके लिए इन निधियों का उपयोग ग्राम पंचायतों में पहले से उपलब्ध मौजूदा जनशक्ति और अन्य बुनियादी ढांचे के आधार पर किया जा सकता है। राज्यों को लागत और अन्य मानदंडों तथामदों पर व्यय खर्च करने की सीमा के लिए स्पष्ट सरकारी आदेश भी जारी करने चाहिए।

*****